ऑन लाईन नं. RCMS 2024/194

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 29/2024

1. इकबाल सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह निवासी चक 34 एम.एम.के. किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जगतार सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह निवासी चक 34 एम.एम.के. किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. अनूप सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी चक 34 एम.एम.के. किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरमीत सिंह पुत्र मिठू सिंह निवासी चक 34 एम.एम.के. किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरमीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी चक 34 एम.एम.के. किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. हरदीप सिंह पुत्र मिठू सिंह निवासी चक 34 एम.एम.के. किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्रांम पंचायत किलांवाली जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैर–निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश कमांक 1371 दिनांक 19.09.2024 विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर जिसकी रूह से निगरानीकर्तागण द्वारा निलामी में खुरीदशुदा भूखण्ड वाई नंम्बर 1 में साईज 32.5x 131 फुट , आबादी भूमि किलांवाली जो चक 34 एम.एम.के. के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में स्थित है, की गलत रूप से पुनः बोली करवाये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है, को निरस्त किये जाने बाबत, बमुराद मनसुखिया है।

उपस्थित :–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री ऋषिराज ओझा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांकः 31.10.2025

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण चक 34 एम.एम.के. के खाता संख्या 109 व 67/62 में ढाणियों में निवास करते है। प्रार्थीगण की ढाणियों के लिये रास्ता की असुविधा होने पर प्रार्थीगणो द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 से वर्ष 2013 में सम्पर्क किया तो सरपंच ग्राम पंचायत किलांवाली द्वारा प्रार्थीगण की समस्या को समझते हुये विवादित जगह पर रास्ता सुरक्षित रखने के लिये सभी पंचो की सहमति से दिनांक

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

20.11.2013 को प्रस्ताव जारी किया जिसकी फोटोप्रति सलंग्न है उसके बाद उक्त रास्ता के सम्बन्ध में प्रार्थीगणो के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत से रास्ता मंजूर करने के सम्बन्ध में वर्ष 2023 में कार्यवाही अमल में लाई गई जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त विवादित रास्ता की जगह आबादी भूमि होने के कारण समस्त अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होना बताया। तदोपरांत प्रार्थीगणो द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क किया जिसके द्वारा सचिव ग्राम पंचायत किलांवाली से विचार विमर्श कर व नक्शा आबादी का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण को अवगत करवाया कि आबादी भूमि चक 34 एम.एम.के. के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में 32.5X131 फुट आबादी भूमि की जगह विक्रय के लिये ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है जिसे निलामी में बेचा जाना है, जिस पर प्रार्थीगणो द्वारा दिनांक 17.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क करने पर उक्त जगह प्रार्थीगणो को रास्ता हेतु देने का अनुरोध किया जिस पर उक्त आबादी भूमि की जगह के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सार्वजनिक आपित्त नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कमांक 148 दिनांक 17.09.2023 जारी कर उक्त जगह के सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गई, जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाने पर दिनांक 20.09.2023 को उक्त जगह को निलामी में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2023 द्वारा डीएलसी रेट की राशि 2,17,623/–रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करके रसीद संख्या 99 दिनांक 20.09.2023 अप्रार्थी संख्या 1 से प्राप्त की गई और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसी रोज प्रस्ताव संख्या 2 ग्राम पंचायत किलांवाली की साधारण बैठक में उक्त जगह का प्रार्थीगण के नाम से पट्टा जारी करने का संकल्प/आदेश पारित किया गया और उसी रोज रास्ता के रूप में 32.5X131 फुट जगह का कब्जा प्रार्थीगण के सुपुर्द कर दिया जो रास्ता मौका पर वर्ष 2013 से ही चालू है। आपत्ति नोटिस, प्रस्ताव संख्या 2 ग्राम पंचायत किलांवाली दिनांक 20.09.2023, नोटिस चस्पा की कार्यवाही , रसीद नम्बर 99 दिनांक 20.09.2023 की फोटो प्रतियां व जमाबन्दी प्रार्थीगण की सलंग्न निगरानी है। दिनांक 10.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.09.2024 को जारी आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को सचिव ग्राम पंचायत किलांवाली से हुई जिसे प्रार्थीगण को पता चला कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा निलामी में खरीदशुदा उक्त भूखण्ड की पुनः निलामी की जा रही है जिस पर दिनांक 18.11.2024 को नकलें प्राप्त कर अधिवक्ता से राय करके निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश कमांक 1317 दिनांक 19.04.2024 एक पक्षीय तौर पर बिना प्रार्थीगण को सुने व बिना कोई नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायत राज. अधिनियम 1996 के नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि नहीं किये जाने की आपत्ति के आधार पर प्रार्थीगण को आवंटित भूखण्ड वार्ड नम्बर 1, किलांवाली के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में स्थित 32.5X131 फुट जो डीएलसी रेट पर खरीद किया गया था,

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उसकी पुनः निलामी करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गलत तरीके से दिनांक 19.09.2024 पारित किया गया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कार्य में लापरवाही करते हुये प्रार्थीगण द्वारा डीएलसी रेट पर आबादी भूमि खरीदने की पत्रावली को सक्षम स्तर पर पंचायत राज. अधिनियम 1996 के प्रावधानों नियम 154 के उपनियम 3 (ख) के अनुसार सक्षम अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को भिजवाया नहीं गया जो सक्षम अधिकारी को आवश्यक अनुमोदन/पुष्टि हेतु भिजवाया जाना चाहिये था, जिसमें प्रार्थीगण की कतई कोई लापरवाही नहीं रही है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के आदेशो की पालना में तुरन्त डीएलसी राशि जो प्रार्थीगण से चाही गई थी, ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करवा दी और आवंटित भूमि पर रास्ता वर्तमान में चालू है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 प्रथमतया ही अवैध है जिसे पारित करने का कतई उसे क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि प्रकरण जिला परिषद, श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में आता था।

3. यह कि ग्राम पंचायत के आदेश की समीक्षा अप्रार्थी संख्या 2 करने के लिये सक्षम नहीं था क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकृत संस्था है और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष कोई ऐतराज प्रार्थीगण के आवंटन के सम्बन्ध में पेश किया गया है इसलिये आदेश दिनांक 19.09.2024 प्रथमतया ही अवैध है और राजनैतिक रंजिशवंश पारित किया गया प्रतीत होता है, इसलिये भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से खरीदशुदा उक्त भूखण्ड का साईज 32.5X131 फुट रास्ता के उपयोग के लिये चाहा गया था, मौका पर रास्ता चालू है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसे आवंटित की गई जगह के बारे में ज्यादा चाराजोही नहीं की गई कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा जो जगह खरीदी गई है उसे रास्ता के रूप में आबादी भूमि में रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा किन्तु अब अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पुनः निलामी करवाने के आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थीगण को पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को गलत तरीके से उक्त भूखण्ड से वंचित करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है जबकि अगर किसी अन्य व्यक्ति को उक्त जगह आवंटित कर दी जाती है तो प्रार्थीगण को रास्ता के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपसी मिलीभगत करके प्रार्थीगण को चक 34 एम.एम.के. के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में 32.5X131 फुट से प्रार्थीगण को वंचित करना चाहते है और अन्य किसी व्यक्ति को कब्जा करवाना चाहते है जिसके लिये दिनांक 11.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा ऐलानिया कहा है कि उक्त जगह किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित करेगें आपको जो करना है , कर लेना। यही वजह है कि प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण का मामला पृथम दृष्टया बनता है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

6. यह कि पैरा संख्या 1 में अंकित समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से तलब किया जावें।
7. यह कि उक्त प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों से सम्बन्धित है, जो श्रीमान न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है व उचित कोर्ट फीस पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

अतः निगरानी धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा गैरकानूनी तरीके से पारित आदेश कमांक 1371 दिनांक 19.07.2023 को निरस्त किया जावें और दौराने निगरानी आदेश पारित किया जावें कि उक्त भूखण्ड चक 34 एम.एम.के. के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में 32.5X131 फुट का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अन्य किसी व्यक्ति को सुपुर्द ना करे व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थित बनायी रखी जावें।

निगरानी से सबंधित रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट ग्राम पंचायत से तलब किया गया।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब नोटिस पेश किया जो निम्नानुसार है :–

निगरानी याचिका के तथ्यों में निगरानीकर्तागण के चक 34 एम.एम.के. के खाता संख्या 109 व 67/62 में ढाणियों में निवास करने के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है और यह भी तथ्य अस्वीकार है कि दिनांक 20.11.2013 के प्रस्ताव से रास्ता सुरक्षित रखा गया और प्रार्थीगण द्वारा सरपंच के माध्यम से उक्त रास्ता को वर्ष 2023 में मंजूर करने की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवादित रास्ता की जगह आबादी भूमि होने के समस्त अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होना बताया था और प्रार्थीगणो के अप्रार्थीगण से सम्पर्क करने पर विचार विमर्श किया जाकर नक्शा आबादी का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का अवगत करवाया गया कि आबादी भूमि चक 34 एम.एम.के. के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में 32.5X131 फुट आबादी भूमि की जगह विक्रय के लिए ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है जिसे निलामी में बेचा जाना है जिस पर प्रार्थीगणों द्वारा दिनांक 17.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क करने पर उक्त जगह प्रार्थीगणो को रास्ता हेतु देने का अनुरोध किया जिस पर उक्त आबादी भूमि की जगह के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सार्वजनिक आपत्ति नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कमांक 148 दिनांक 17.09.2023 जारी कर उक्त जगह के सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गयी जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाने पर दिनांक 20.09.2023 को उक्त जगह की निलामी में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2023 द्वारा डीएलसी रेट पर राशि 2,17,623/– रूपये अप्रार्थी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 को अदा करके रसीद संख्या 99 दिनांक 20.09.2023 अप्रार्थी संख्या 1 से प्राप्त की गयी और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसी सेज प्रस्ताव संख्या 2 ग्राम पंचायत किलावाली की साधारण बैठक में उक्त जगह का प्रार्थीगण के नाम से पट्टा जारी करने का संकल्प /आदेश पारित किया गया और उसी सेज सस्ता के रूप में 32.5X131 फुट जगह का कब्जा प्रार्थीगण के सुपुर्द कर दिया जो सस्ता मौका पर वर्ष 2013 से ही चालू है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के प्रस्ताव दिनांक 19.09.2024 को देते हुए निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या1 के तथ्य जिस पर से अभिकथित किये गये है गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश 1317 दिनांक 19.09.2024 एक पक्षीय एवं बिना प्रार्थीगण को सुने व बिनो कोई नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पूर्ण प्रकिया का पालन करने के उपरांत पारित किया गया आदेश है जिसे चुनौती देने का कोई अधिकार प्रार्थीगण को नही है।
2. यह कि चरण संख्या 2 के तथ्य जिस पर से अभिकथित किये गये है, गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वैध रूप से निर्णय पारित किया गया है और प्रार्थीगणों को अप्रार्थीगण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 के तथ्य गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। उक्त तथ्यों का जवाब आगे अतिरिक्त कथनों में विस्तार पूर्वक दिया जावेगा।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 के तथ्य गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। उक्त तथ्यों का जवाब आगे आगामी अतिरिक्त कथनों में विस्तार पूर्वक दिया जावेगा।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 के तथ्य गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी पसस्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन नहीं बनताा है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 के तथ्य कानूनी होने के कारण उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 के तथ्य कानूनी होने के कारण उत्तर की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय को निगरानी की सुनवायी करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही निगरानी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार की है।

अतिरिक्त कथन

8. यह कि प्रार्थीगणों के द्वारा प्रस्तुत आधारों का खण्डन करते हुए अप्रार्थीगण अपना जवाब याचिका प्रस्तुत कर रहे है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा चक 34 एम.एम.के. की ढाणियों हेतु ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में 32.5X131 फुट भूमि

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

को दिनांक 17.09.2023 के सार्वजनिक नोटिस 148 दिनांक 17.09.2023 के माध्यम से आपत्ति मांगी गयी जिसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने पर दिनांक 20.09.2023 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया जाकर डीएलसी रेट 2,17,623/– रूपये अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि जमा कर भूमि का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव किया गया था।

9. यह कि गुरजीत सिंह द्वारा दिनांक 03.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त सरपंच के पद का दुरूपयोग कर आम सूचना दिये बिना निलामी की जानकारी देने पर अप्रार्थी संख्या 1 से रिकॉर्ड मांगा गया था जिस पर अप्रार्थी संख्या1 द्वारा कुछ अहम तथ्यों से अवगत करवाया गया था जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 29.07.2024 को सभी सारवान तथ्यों से विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण मांगा गया था परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया था और सार्वजनिक भूखण्ड की निलामी अनियमित पाये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.09.2024 को निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया था कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आम रास्ता की नोटशीट चलाकर भूखण्ड की डीएलसी दरों पर विक्रय किया गया जबकि उक्त विक्रय की सक्षम स्तर पर पुष्टि नहीं हुई थी। डीएलसी दर पर खांचा भूमि अथवा एक ही आवेदक होने पर नीलामी की जानी संभव नहीं होने पर आवंटित करने का प्रावधान है। डीएलसी दर सार्वजनिक आवंटन करने के उपरांत रास्ते के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के द्वारा रिकॉर्ड में आदिनांक तक अमलदरामद की किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना, आवेदकों को पत्रावली में प्रस्तुत नक्शें के अनुसार अन्य रास्ता अतिक्रमण युक्त होना दर्शाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 को अपील स्वरूप शिकायत प्राप्त होने पर एवं ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब करने के उपरांत ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार नहीं की गयी इसलिए उक्त कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण की पत्रावली लौटायी जाकर निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण युक्त रास्ते से अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ता खुलवाया जावें तथा पंचायती राज नियमानुसार प्रकिया पूर्ण करते हुए उक्त भूखण्ड 32.5X131 की खुली निलामी करवायी जाकर पट्टा जारी किये जाने का निर्णय ग्राम पंचायत बैठक में किया जावें ताकि ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धा से उचित निलामी राशि प्राप्त हो सके व किसी प्रकार की वित्तिय हानि की संभावना न रहे एवं पूर्व में डीएलसी दर पर ग्राम पंचायत कोष में प्राप्त राशि 2,17,623/– रूपये विक्रय की पुष्टि रा. प.रा. नियम 154 के अन्तर्गत नहीं होने के कारण बोलीदाता को वापिस लौटायी जाने का निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक में लिया जावें एवं उक्त आदेश की पालना 15 दिवस में पूर्ण कर अप्रार्थी संख्या 2 को की जावें।

10. यह कि इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा लिये गये प्रस्ताव एवं निर्णय को अपास्त किया जाकर निरस्त किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता की भूमि को नोटशीट चलाकर निलामी में केवल

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण को ही बोली में बुलाया जाकर उनके पक्ष में डीएलसी दरों पर भूखण्ड को विक्रय कर दिया गया जिससे समस्त प्रक्रिया दूषित हो गयी थी और इसलिए सक्षम स्तर से निलामी की पुष्टि एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी थी जिसे नियमानुसार अपास्त किया जाकर निरस्त फरमाया गया और निलामी में अवरोधक हटाया जाकर खुली निलामी प्रतिस्पर्धा स्वरूप उचित मूल्य पर करवायी जाकर भूखण्ड का नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने का भी वैध निर्णय लिया जाने का आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है और क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त है और उक्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वैध एवं अपनी सीमा के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया है। इसी आदेश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.11.2024 को प्रस्ताव पारित कर विधिवत् कार्यवाही अमल में लायी जाकर नीलामी का प्रकाशन करवाया जाकर विधिवत् से दिनांक 20.11.2024 नीलामी हेतु बैठक आयोजित की गयी थी उक्त निलामी अनुसार दिनांक 19.09.2024 के निर्णय की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निलामी दिनांक 20.12.2024 को रखने का निर्णय लिया गया था जिसमें यह शर्त तैय की गयी थी कि निलामी से पूर्व बोलीदाता को 20,000/—रूपये धरोहर स्वरूप रखने होगें तभी बोली में भाग लिया जा सकता है। निलामी का समय दिनांक 20.12.2024 को रखते हुए सुबह 10 से 12 बजे तक धरोहर राशि जमा करवाये जाने तथा 12 बजे से निलामी प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना तैया किया गया था। इसी प्रकार निलामी की प्रारम्भिक/न्यूनतम बोली 2.50 लाख रूपये रखी गयी तथा बोली सफल होने पर 1/4 हिस्सा उसी दिवस व शेष राशि जमा करवाये जाने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाना तैया किया गया। निलामी के अन्य अधिकारों को निलामी समिति को दिया जाना भी तैय किया गया जिसमे निलामी निरस्त करने या स्वीकार करने तथा बोली सफल होने पर पट्टा जारी किये जाने का भी तैया किया गया था।

11. यह कि प्रार्थीगण के माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त करने की स्थिति में निलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण निलामी स्थगित रखी गयी है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की याचिका मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत होने के कारण सव्यय निरस्त फरमायी जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुत कर निम्नानुसार कथन किया:—

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा पारित आदेश कमांक 1317 दिनांक 19.04.2024 एक पक्षीय तौर पर बिना प्रार्थीगण को सुने व बिना कोई नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा पंचायत राज. अधिनियम 1996 के नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि नहीं किये जाने की आपत्ति के आधार पर प्रार्थीगण को आवंटित भूखण्ड वार्ड नम्बर 1, किलांवाली के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में स्थित 32.5X131 फुट जो डीएलसी रेट पर खरीद किया गया था। उसकी पुनः निलामी करने का आदेश गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गलत तरीके से दिनांक 19.09.2024 पारित किया गया है क्योंकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा कार्य में लापरवाही करते हुये निगरानीकर्ताकण द्वारा डीएलसी रेट पर आबादी भूमि खरीदने की पत्रावली को सक्षम स्तर पर पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों नियम 154 के उपनियम 3 (ख) के अनुसार सक्षम अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को भिजवाया नहीं गया जो सक्षम अधिकारी को आवश्यक अनुमोदन/पुष्टि हेतु भिजवाया जाना चाहिये था। निगरानीकर्तागण द्वारा कोई लापरवाही नहीं रही है क्योंकि निगरानीकर्तागण द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के आदेशो की पालना में तुरन्त डीएलसी राशि जो निगरानीकर्तागण से चाही गई थी, ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करवा दी और आवंटित भूमि पर रास्ता वर्तमान में चालू है जिस पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 प्रथमतया ही अवैध है। उक्त आदेश पारित करने का कतई उसे क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि प्रकरण जिला परिषद, श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में आता था। ग्राम पंचायत के आदेश की समीक्षा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 करने के लिये सक्षम नहीं था क्योंकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 सक्षम प्राधिकृत संस्था है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के समक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐतराज निगरानीकर्ता के आवंटन के सम्बन्ध में पेश किया गया है इसलिये आदेश दिनांक 19.09.2024 अवैध है और राजनैतिक रंजिशवंश पारित किया गया प्रतीत होता है। इसलिये भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्तागण द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 से खरीदशुदा उक्त भूखण्ड का साईज 32.5X131 फुट रास्ता के उपयोग के लिये चाहा गया था, मौका पर रास्ता चालू है। निगरानीकर्तागण द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा आवंटित की गई जगह के बारे में ज्यादा चाराजोही नहीं की गई क्योंकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 से निगरानीकर्तागण द्वारा जो जगह खरीदी गई है उसे रास्ता के रूप में आबादी भूमि में रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा किन्तु अब गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा पुनः निलामी करवाने की जानकारी का पता निगरानीकर्तागण को चला कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में निगरानीकर्तागण को गलत तरीके से उक्त भूखण्ड से वंचित करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और उक्त विवादित भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित की जा रही है तब निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त निगरानी श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जहां तक क्षेत्राधिकार का बिन्दु है तो पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी आदेश को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को ही है। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 द्वारा गैरकानूनी तरीके से पारित आदेश क्रमांक 1371 दिनांक 19.07.2023 को निरस्त किया जावें और दौराने निगरानी आदेश पारित किया जावें कि उक्त भूखण्ड चक 34 एम.एम.के. के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

32.5X131 फुट का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अन्य किसी व्यक्ति को सुपुर्द ना करे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि चक 34 एम.एम.के. की ढाणियों हेतु ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में 32.5X131 फुट भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 17.09.2023 के सार्वजनिक नोटिस 148 दिनांक 17.09.2023 के माध्यम से आपत्ति मांगी गयी जिसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने पर दिनांक 20.09.2023 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया जाकर डीएलसी रेट 2,17,623/– रूपये गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा राशि जमा कर भूमि का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव किया गया था।

परिवादी गुरजीत सिंह द्वारा दिनांक 03.01.2024 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को उक्त सरपंच के पद का दुरूपयोग कर आम सूचना दिये बिना निलामी की जानकारी देने पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 से रिकॉर्ड तलब किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा कुछ अहम तथ्यों से अवगत करवाया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 से दिनांक 29.07.2024 को सभी सारवान तथ्यों से विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण मांगा गया। सार्वजनिक भूखण्ड की निलामी अनियमित पाये जाने पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.09.2024 को निर्णय पारित किया कि निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा आम रास्ता की नोटशीट चलाकर भूखण्ड की डीएलसी दरों पर विक्रय किया गया है उक्त विक्रय की सक्षम स्तर पर पुष्टि नहीं हुई। डीएलसी दर पर खांचा भूमि अथवा एक ही आवेदक होने पर नीलामी की जानी संभव नहीं होने पर आवंटित करने का प्रावधान है। डीएलसी दर सार्वजनिक आवंटन करने के उपरांत रास्ते के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के द्वारा रिकॉर्ड में आदिनांक तक अमलदरामद की किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना, आवेदकों को पत्रावली में प्रस्तुत नक्शें के अनुसार अन्य रास्ता अतिक्रमण युक्त होना दर्शाया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को अपील स्वरूप शिकायत प्राप्त होने पर एवं ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब करने के उपरांत ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि ग्राम पंचायत के द्वारा निलामी नियमानुसार नहीं की गयी इसलिए उक्त कार्यवाही को निरस्त की गई।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली लौटायी जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को आदेश क्रमांक 1371 दिनांक 19.09.2024 द्वारा निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण युक्त रास्ते से अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ता खुलवाया जावें तथा पंचायती राज नियमानुसार प्रकिया पूर्ण करते हुए उक्त भूखण्ड 32.5X131 की खुली निलामी करवायी जाकर पट्टा जारी किये जाने का निर्णय ग्राम पंचायत बैठक में किया जावें ताकि ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धा से उचित निलामी राशि प्राप्त हो सके व किसी प्रकार की वित्तिय हानि की संभावना न रहे एवं पूर्व में डीएलसी दर पर ग्राम पंचायत कोष में प्राप्त राशि 2,17,623/– रूपये विक्रय की पुष्टि रा.प.रा. नियम 154 के अन्तर्गत नहीं होने के कारण बोलीदाता को वापिस

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लौटायी जाने का निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक में लिया जावें । उक्त आदेश की पालना 15 दिवस में पूर्ण कर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को की जावें।

जिस पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के द्वारा लिये गये प्रस्ताव एवं निर्णय को अपास्त किया जाकर निरस्त किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता की भूमि की नोटशीट चलाकर निलामी में केवल निगरानीकर्ता को ही बोली में बुलाया जाकर उनके पक्ष में डीएलसी दरों पर भूखण्ड को विक्रय कर दिया गया जिससे समस्त प्रक्रिया दूषित हो गयी थी और इसलिए सक्षम स्तर से निलामी की पुष्टि एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी थी जिसे नियमानुसार अपास्त किया जाकर निरस्त फरमाया गया और निलामी में अवरोधक हटाया जाकर खुली निलामी प्रतिस्पर्धा स्वरूप उचित मूल्य पर करवायी जाकर भूखण्ड का नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने का भी वैध निर्णय लिया जाने का आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को प्राप्त है और उक्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा वैध एवं अपनी सीमा के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.11.2024 को प्रस्ताव पारित कर विधिवत् कार्यवाही अमल में लायी जाकर नीलामी का प्रकाशन करवाया जाकर विधिवत् से दिनांक 20.11.2024 नीलामी हेतु बैठक आयोजित की गयी थी उक्त निलामी अनुसार दिनांक 19.09.2024 के निर्णय की पालना करते हुए गैरनिगरानकर्ता संख्या 1 द्वारा निलामी दिनांक 20.12. 2024 को रखने का निर्णय लिया गया था। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत होने के कारण सव्वय निरस्त फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।"

निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी आदेश कमांक 1371 दिनांक 19.09.2024 के विरूद्व उक्त निगरानी पेश की है। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा चक 34 एम.एम.के. की ढाणियों हेतु ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 18 में 32.5X131 फुट भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 17.09.2023 के सार्वजनिक नोटिस 148 दिनांक 17.09.2023 के माध्यम से आपत्ति मांगी गयी जिसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने पर दिनांक 20.09.2023 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया जाकर डीएलसी रेट 2,17,623/– रूपये गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा राशि जमा कर भूमि का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव किया गया।

परिवादी गुरजीत सिंह द्वारा दिनांक 03.01.2024 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को उक्त सरपंच के द्वारा पद का दुरूपयोग कर आम सूचना दिये बिना निलामी की जानकारी देने पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 से रिकॉर्ड तलब किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 से दिनांक 29.07.2024 को सभी सारवान तथ्यों से विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण मांगा गया। सार्वजनिक भूखण्ड की निलामी अनियमित पाये जाने पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.09.2024 को निर्णय पारित किया उक्त विक्रय की सक्षम स्तर पर पुष्टि नहीं हुई। डीएलसी दर पर खांचा भूमि अथवा एक ही आवेदक होने पर नीलामी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की जानी संभव नहीं होने पर आवंटित करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के द्वारा निलामी नियमानुसार नहीं की गयी इसलिए उक्त कार्यवाही को निरस्त किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को आदेश क्रमांक 1371 दिनांक 19.09.2024 द्वारा निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण युक्त रास्ते से अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ता खुलवाया जावें तथा पंचायती राज नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उक्त भूखण्ड 32.5X131 की खुली निलामी करवायी जाकर पट्टा जारी किये जाने का निर्णय ग्राम पंचायत बैठक में किया जावें ताकि ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धा से उचित निलामी राशि प्राप्त हो सके व किसी प्रकार की वित्तिय हानि की संभावना न रहे एवं पूर्व में डीएलसी दर पर ग्राम पंचायत कोष में प्राप्त राशि 2,17,623/— रूपये विक्रय की पुष्टि रा.प.रा. नियम 154 के अन्तर्गत नहीं होने के कारण बोलीदाता को वापिस लौटायी जाने का निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक में लिया जावें। इस प्रकार गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1371 दिनांक 19.09.2024 में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है एवं गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 विकास अधिकारी पंचायत सादुलशहर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1371 दिनांक 19.09.2024 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
अ(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner